

कार्यालय ग्राम पंचायत राजकोट पं0स0 देवली जिला टोंक राज.

क्रमांक - 145

दिनांक 21/01/15

ग्राम पंचायत राजकोट द्वारा सरपंच श्रीमती सोना देवी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों को मिसिंग लिंक दूनी आंवा रोड़ से चान्दली माताजी के बारे में बताया गया। उसके निहित प्रावधानों एवं सड़क के निर्माण क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के बारे में बताया गया एवं समस्त जानकारी दी गई। तत्पश्चात उनके निम्न प्रस्ताव लिये गये।

1- मिसिंग लिंक दूनी आंवा रोड़ चान्दली माताजी निर्माण क्षेत्र में आने वाली वन भूमि की प्रत्यावर्तन की सहमति दी जाती है।

2- मिसिंग लिंक दूनी आंवा रोड़ से चान्दली माताजी में आने वाली वन भूमि पर एस.टी. ओटी. एक्ट वन अधिकार नियम धारा 2/1 ई 2006 के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति, अन्य जन जाति, गैर परम्परा वनवासी एवं कृषक वर्गवास नहीं करता है एवं किसी भी व्यक्ति ने इस भूमि पर दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

3- मिसिंग लिंक दूनी आंवा रोड़ चान्दली माताजी के निर्माण के लिए वन विभाग की वन भूमि के लिए ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है उक्त प्रस्ताव सर्व सम्पत्ति से जनहित में लिया गया है तथा यह प्रस्ताव ग्राम सभा दिनांक 02/10/15 प्रस्ताव संख्या 15 के द्वारा अनुमोदन कर प्रस्ताव पारित किया गया।

गौरवराज
रामचाराइ

सोना देवी

रामलाल रामाशह

संगराम सिंह किवान

पन्ना लाल

सलंगन

मनमोहन

सुधानाथ

जुगराज सिंह

01/01/15

सरपंच

ग्राम पंचायत राजकोट
पं. स. देवली (टोंक)

कुंवर सिंह
रामचाराइ
न/1/40/15

सरपंच

ग्राम सभा द्वारा प्राप्त सहमति पत्र

जुगराज सिंह

हिमराज

राज